न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

1. प्यारेलाल पिता श्री अम्बावा भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. वकली पिता श्री अम्बावा भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हमेरी पिता श्री अम्बावा भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सरोज उर्फ सकुडी पिता श्री अम्बावा भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती नानी बाई बेवा श्री अम्बावा भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. कालूराम पिता श्री लाला भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. चम्पा पिता श्री लाला भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. लिम्बा पिता श्री लाला भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. सवा पिता श्री लाला भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. गणेश पिता श्री लाला भील मृतक के बजाय :–

10/1. नरेश पिता गणेश जी भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10/2. जसवन्ती पिता गणेश जी भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10/3. गीता पिता गणेश जी भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10/4. दाडमी पिता गणेश जी भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10/5. पुष्पा पत्नी गणेश जी भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10/6. नरेन्द्र पिता गणेश नाबालिग जरिये माता श्रीमती पुष्पा पत्नी गणेश जी भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. आकुडा पिता कन्ना जी गमेती, निवासी रोशन कॉलोनी सवीना , तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, [illegible], [illegible]ा उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
15–07–2019 प्रकरण संख्या 249/09

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री रमेश नन्दवाना अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक 27–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम तितरडी में आराजी नंबर 471 रकबा 0.1350 हैक्टर स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा होकर वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए आपसी मौखिक विभाजन अनुसार काबिज है, किन्तु कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादी के हक व हिस्से की भूमि का भाग मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादी को दिलाया जाकर डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वरदा जी ने आराजी नंबर 94, 104 व 100 में से अपना आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय किया है, परन्तु विक्रय पत्र में सहवन से आराजी नंबरा 100 अंकित होना रहा गया है, जबकि कब्जा प्रतिवादी का ही चला आ रहा है।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 3 तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 15–07–2019 से प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–10–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक [illegible] लेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तल[illegible] अभिभाषक [illegible] पक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 20—09—2019 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का निर्धारण विधि अनुसार नहीं किया तथा अपने निर्णय में तनकी का कोई उल्लेख नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को हूबहू रिपीट कर दिया, आप न्यायालय द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय विलेख 1980 को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 960 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 में विवादित आराजी नंबर 471 रकबा 0.1350 हैक्टर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है तथा हाल आराजी नंबर 471 के साबिक आराजी नंबर 100 होना मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबित है। प्रतिवादी आराजी नंबर 100 स्वयं द्वारा क्रय करना बताते हैं तथा विक्रय विलेख में उसका सहवन से अंकित होना रह जाना बताते हैं, किन्तु इस बाबत् उनकी ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा कब्जे बाबत् भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे विवादित आराजी नंबर 471 पर उनका कब्जा साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य भिन्न होने से वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

प्यारेलाल पिता श्री अम्बावा भील, निवासी रूण्डेला तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य — बनाम — आकुडा पिता कन्ना जी गमेती, नि0 रोशन कॉलोनी सवीना, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.................58/2019........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............15................माह..................07.............2019...................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........27..........माह.............09.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.............श्री रमेश नन्दवाना...............मिनजानिब अपीलान्ट व..................... श्री हर्षद जोशी

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2019 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X..........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............27.............माह............09..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested